प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 11.06.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 11.06.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1. सागर शर्मा पुत्र हैमन्त शर्मा निवासी गली नं0 02 छिजारसी गाँव थाना सैक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी ग्राम मोहाना जिला भिन्ड म0प्र0 उम्र करीब 23 वर्ष 2. आशू पुत्र मुकेश निवासी गली नं0 02 छिजारसी सफेद मन्दिर के पास कॉलौनी थाना सैक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर मूल पता ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को छिजारसी कट के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं। अभियुक्तगण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से चोरी जैसी संगठित एवं जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की अनेक घटनाएं कारित की गईं, जिनके संबंध में थाना इन्दिरापुरम सहित कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त संगठित आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सागर शर्मा पुत्र हैमन्त शर्मा निवासी गली नं0 02 छिजारसी गाँव थाना सैक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी ग्राम मोहाना जिला भिन्ड म0प्र0 उम्र करीब 23 वर्ष
2. आशू पुत्र मुकेश निवासी गली नं0 02 छिजारसी सफेद मन्दिर के पास कालौनी थाना सैक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर मूल पता ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

1. सागर शर्मा

- कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के 08 अभियोग पंजीकृत।
- थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत।
- कुल 09 अभियोग पंजीकृत।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

2. आशू

- कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के 08 अभियोग पंजीकृत।
- थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत।
- कुल 09 अभियोग पंजीकृत।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त तुषार पुत्र बृजपाल द्वारा वादिया उम्र करीब 15 वर्ष के साथ झांसा देकर गलत काम करना जिससे वादिया गर्भवती हो जाना, गर्भपात कराने को दबाब बनाना तथा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तुषार पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम खिरवा जलालपुर, थाना सरधना जनपद मेरठ हाल निवासी राधेश्याम कॉलोनी फेस- 04 थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी मुलाकात पीडिता से इन्सटाग्राम के माध्यम से हुयी थी, जनवरी 2026 में हम दोनों की बातचीत शुरू हुयी थीं। मैंने पीडिता को नौकरी का झाँसा देकर अपनी रिश्तेदार के घर मुरादनगर में बुलाया था और उसके साथ शारिरिक बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

तुषार पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम खिरवा जलालपुर, थाना सरधना जनपद मेरठ हाल निवासी राधेश्याम कॉलोनी फेस- 04 थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देश में चलाया जा रहे अभियान 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत, थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आश्रम कट के रास्ते से अभियुक्त रवि

पुत्र कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा बरामद । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि, "साहब, मैं यह गांजा सीमापुरी (दिल्ली) से एक व्यक्ति से लाता हूँ, जो अपना नाम-पता नहीं बताता है। इस अवैध गांजे को मैं नन्दग्राम क्षेत्र में घूम-फिरकर आते-जाते लोगों को बेचकर अपना खर्च चलाता हूँ। आज फिर मैं इसी काम के लिए आया था कि आपने पकड़ लिया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

रवि पुत्र कमलेश, निवासी: मकान नं. 90, गली नं. 2, तीस फुटा रोड, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद (उम्र: 24 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

01 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम